

# FORM NO. III

**फर्ड अहकाम**  
(नियम-26)

**सहायक कलेक्टर**  
**(S.D.O.) बुलौतरा**

अज अदालत

वसंतराम

नियम

प्रेम पवार

किस्म मुकदमा

111, 128 P.P. Case

बनाम

नं. 605 सन. 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/1/18	<p>प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना की गई कि अंतर्गत धारा 111, 128 P.P. Case के तहत वकील श्री सधाराम सुवापरा ने विद्यार्थी के विरुद्ध पेश किया जो दर्ज राफिटर्ड है। विद्यार्थी को सख्तान जारी होकर पतावली दिनांक 28/6/18 को पेश है।</p>	
28-6-18	<p>सहायक कलेक्टर - <b>(S.D.O.) बुलौतरा</b></p> <p>प्रकारण पेश है। श्री वकील उमरेश्वर विद्यार्थी का अनुपस्थित। दिनांक 5-7-18 को राफिटर्ड राफिटर्ड के अंतर्गत न्याय आदेश के तहत पेश किया है। अंतर्गत होकर पेशावली दिनांक 3-7-2018 की पेश है।</p>	
3-7-2018	<p>सहायक कलेक्टर <b>(S.D.O.) बुलौतरा</b></p> <p>प्रकारण का पेश है। श्री वकील उमरेश्वर विद्यार्थी का अनुपस्थित। जारी रखी गई कि विद्यार्थी के नोटिस की रसीद व डिलेवरी के तहत पेश की गई। कारण सूचना के दिनांक 28-6-2018 का अनुपस्थित रहने के कारण की अनुपस्थित रहने पर सख्त पत्रिका कार्यवाही कायम में जारी रहे।</p>	


तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

अहकाम  
की तारीख

प्राथमिक दलील में विवेकानंद मिश्रा जी प्राथमिक  
 संख्या 1 का खातादारी खेत खसरा नम्बर 1027/55  
 संख्या 18 दिक्का व खेत खसरा नम्बर 1028/55  
 संख्या 01 कीका व प्राथमिक सं. 2 का खेत खसरा  
 नम्बर 1026/55 संख्या 16 दिक्का सरसद मौरजा  
 रामकीस परमार क्षेत्र रामकीस मू. भािमलेश्वर  
 मिरीश्वर सेवा कालोचरा का न्यायालय के पास  
 गद्दी के नोकरपदों का काम का कार्रवाई एका  
 परदारी व मू-मापक में नाम प्रारम्भिक पत्रों  
 के प्रालम्भा रिपोर्ट मंगवाई जाते। प्रथम  
 परदारी गद्दी एवं सुटाय का खर्चीकदम करेगे।

प्राथमिक दलील की प्रत्येक सुनी गई  
 तथा प्रजापति व देसायणी का न्यायालय  
 कर एवम प्रत्येक अद्ययन कर मन्त्र किया गया  
 प्राथमिक का प्रथम पत्र न्याय संगत होने से  
 2-वीकार किया जाता है। मौरजा रामकीस के खसरा  
 नं. 1027/55 संख्या 18 दिक्का खसरा नं. 1026/55  
 संख्या 1-10 कीका व खसरा नम्बर 1026/55 संख्या  
 16 दिक्का की प्रमाणित कर परदारी करने से  
 मू-मापक कायदा मू. भािमलेश्वर मिरीश्वर कालोचरा  
 की मिश्रित किया जाते है। मू-मापक कायदा  
 कायदा खतर पर टीम गठित कर विकारित व्यक्ति  
 की प्रमाणित दोनों पक्षों की सुचित कर दोनों  
 पक्षों के खसरा प्रमाणित कर परदारी गद्दी कर  
 प्रालम्भा रिपोर्ट सेवा करे। कायदा का खर्ची  
 प्रथम निमज्जुकार कर्ता करे। तहरीर जारी  
 हो सिर्फ शुल्क न्यायालय में सुभगत गया  
 प्रजापति प्रमाणित कुमार होकर दाखिल 28/10/55  
 है।

  
 सहायक कलेक्टर  
 (S.D.O.) बालोचरा